


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

श्रवण कुमार ..... बनाम ..... तहसीलदार

किस्म मुकदमा ..... पार्थना पत्र - 136 CR Act ..... मु.नं. 498 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
31/10/25	<p>प्रार्थी श्रवण कुमार पुत्र लक्ष्मण राम जाति जाट निवासी ग्राम पुरा की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. (नया) 159, 314 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि श्रवणसिंह पुत्र लिछमण दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र लक्ष्मण राम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र लक्ष्मण राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि श्रवणसिंह पुत्र लिछमण के स्थान पर उक्त प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र लक्ष्मण राम दुरुस्त किया जावे।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/120 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. (नया) 159, 314 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि श्रवणसिंह पुत्र लिछमण के स्थान पर उक्त प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र लक्ष्मण राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/120 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। प्रार्थनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर है।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी,              धोद जिला सीकर              उपखण्ड अधिकारी              धोद जिला-सीकर         </p>

